

## कार्यवृत्त

गुरुवार, 20 फाल्गुन, शक संवत्, 1937  
( दिनांक : 10 मार्च, 2016 )

खण्ड-44  
अंक-2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस विषय पर प्रश्नकाल के बाद विचार कर लेंगे।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त 09 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएं स्वीकृत हुई एवं पढ़ी गईः—

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना | जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में वर्षों से अधूरी पड़ी मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य पूर्ण न होने से व्याप्त असंतोष की सूचना। |
| 2. श्री राजकुमार ठुकराल     | जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में औदौगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0आई0टी0) को प्रारम्भ करने के संबंध में।                |
| 3. श्रीमती अमृता रावत       | राज्य में नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों पर नियमित एवं व्यवस्थित बस सेवा का संचालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।            |
| 4. श्री संजय गुप्ता         | जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों का पुनर्निर्माण किये जाने के संबंध में।                           |
| 5. श्री विशन सिंह चुफाल     | जनपद पिथौरागढ़ के थल से ओगला तथा मूनाकोट से झूलाकोट मोटर मार्ग में पड़ने वाली सड़क की मरम्मत करने की मांग के संबंध में।               |
| 6. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर  | जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम कुंजा ग्राण्ट में पेयजल की समस्या से उत्पन्न आकोश के संबंध में।                    |
| 7. श्री पूरन सिंह फर्त्याल  | सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता न दिये जाने के संबंध में।   |

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम-310 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है जो राजनैतिक पदों पर बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए की गई नियुक्ति विषयक है। वे इस विषय को नियम-58 में ग्राहयता पर सुन लेंगे।

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के विधान सभा को सम्बोधित कार्यक्रम में दिए गये अभिभाषण को कार्यवाही का भाग बनाया गया जो असंवैधानिक है। जिस पर कौल एवं शक्ति की संसदीय

पद्धति और प्रक्रिया की किताब के पृष्ठ 182 का उल्लेख करते हुए कहा कि— “राज्य सभा के सदस्यों के एक साथ समवेत होने को न तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और न ही लोक सभा या राज्य सभा की बैठक माना जाता है” तथा संविधान के अनुच्छेद 59(1) में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का न तो सदस्य होता है और न ही हो सकता है और अनुच्छेद 87(1) के अधीन अपने अभिभाषण के लिए एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अतः राष्ट्रपति के अभिभाषण को कार्यसूची का भाग नहीं बनाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखते हैं।

राजस्व मंत्री ने उत्तराखण्ड जर्मिंदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2016 को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2015 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक प्रतिवेदन को (ए0टी0आर0 सहित) सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने वर्ष 2013–14 के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता से सम्बन्धित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2014–15 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (भाग 1 एवं भाग 2) को सदन के पटल पर रखा।

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :-

- (1) उत्तराखण्ड विनियोग (2015–2016 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।
- (2) उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का बीसवां अधिनियम बन गया।
- (3) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।
- (4) उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का बाइसवां अधिनियम बन गया।

- (5) उत्तराखण्ड उपकर विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का तेइसवां अधिनियम बन गया।
- (6) उत्तराखण्ड औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।
- (7) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।
- (9) उत्तराखण्ड आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2015 का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में किमोई-मसराना मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में” श्री कुवंर सिंह पंवार, (ब्लाक प्रमुख) निवासी ग्राम रौतु की बेली पो० सुवाखोली जौनपुर जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को डिग्री कोर्स कराये जाने हेतु सरकार द्वारा तीन वर्ष की अनुदान राशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में” श्री चन्द्रवीर पुण्डीर, क्षेत्र पंचायत भुंयासारी निवासी ग्राम खेड़ा पो० भुंयासारी जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के दुगड़ा पुल से बंगसील तक मोटर मार्ग डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री कुवंर सिंह पंवार, ब्लाक प्रमुख, निवासी ग्राम रौतु की बेली, पो० सुवाखोली, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के अगलाड नदी से प्रभावित कई गाँव एंव थत्यूड बाजार की बाढ़ सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार बनाने के सम्बन्ध में” श्री कुवंर सिंह पंवार, ब्लाक प्रमुख, निवासी ग्राम रौतु की बेली, पो० सुवाखोली, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका की गई।

श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के ग्राम रमोलसारी में सितम्बर 1998 से लगातार भूस्खलन होने के कारण ग्राम को अन्यत्र विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती बबीता शाह, ब्लाक प्रमुख, थौलधार, निवासी ग्राम दड़माली, पो० कटखेत, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम खेतलसण्डा मुस्ताजर क्षेत्र खटीमा में महेश चन्द के घर से बाबा जी की बगिया तक बरसाती नाले से हो रहे भूकटाव रोकने हेतु सुरक्षा दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री बॉबी रावत, निवासी ग्राम खेतलसण्डा मुस्ताजर क्षेत्र खटीमा, जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने नियम-65 के अन्तर्गत मंगलौर नारसन में 17.03.2015 को हुई हत्या पर 5 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा पर कोई कार्यवाही न होने विषय पर सदन को सूचित किया।

श्री अध्यक्ष ने सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्तमान सत्र तक घोषित धनराशि दे कर सदन को गृह मंत्री सूचित करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा की नियम-65 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इसका परीक्षण कराकर निर्णय दे देंगे।

सिंचाई मंत्री ने उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

सिंचाई मंत्री ने उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

सिंचाई मंत्री ने उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

सिंचाई मंत्री ने उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2016 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई।

राजनैनिक पदों पर बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए बिना की गई नियुक्ति विषय पर नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को नियम-58 में ग्राहयता पर नेता प्रतिपक्ष, श्री मदन कौशिक, श्री बंशीधर भगत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण पर असन्तुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।

श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 22 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए रथगित की।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

सल्ट विधान सभा से लगातार लड़कियों के लापता होने और सरकार द्वारा उसके लिये कोई कार्यवाही न करने से व्यपास्त असन्तोष विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। गृह मंत्री व नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या एवं गन्ना मूल्य देर से घोषित को लेकर प्रदेश के किसानों के आन्दोलन से उत्पन्न रिथ्ति विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री मदन कौशिक, श्री आदेश चौहान, श्री चन्द्रशेखर तथा श्री सहदेव सिंह पुण्डीर ने अपने विचार व्यक्त किये। गन्ना मंत्री व नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद ठिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर धार्मिक स्थानों एवं पर्यटक स्थलों को सड़क द्वारा अन्य क्षेत्रों से जोड़ने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री महावीर सिंह रागड़, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। पर्यटन मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

देहरादून स्थित नारी निकेतन में हुए यौन शोषण की घटना की जांच सी0बी0आई0 द्वारा न कराये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा तथा नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। समाज कल्याण मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में बन्दरों के आतंक तथा गुलदारों द्वारा लगातार जानलेवा हमला करने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री दलीप सिंह रावत तथा श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा ने अपने विचार व्यक्त किये। वन मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

नेता प्रतिपक्ष ने नियम-310 के अन्तर्गत मौखिक सूचना देते हुए अभी-अभी नानकमत्ता में डकैती होने के संबंध में चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर से कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि कल वे नियम-58 में इस संबंध में सूचना दे दें, वे इसका संज्ञान ले लेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

“यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2016 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।”

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष के अभिभाषण से चर्चा आरम्भ हुई एवं अपने विचार व्यक्त किये।

गृह विभाग द्वारा सरकार के 12 विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के समानुपात आधार पर पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक (एम) के वेतनमान एवं ग्रेड वेतन को अन्य राज्य कर्मचारियों की भाँति संशोधित उच्चीकृत किय जाने विषयक नियम-51 की सूचना पर श्री सुबोध उनियाल, सदस्य, विधान सभा के भाषण से चर्चा आरम्भ हुई। गृह मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष द्वारा नियम-51 की सूचना पर श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से—

“विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के सितारगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साधूनगर में स्थापित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के संबंध में” श्री प्रेम सिंह की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है तथा

“जनपद हरिद्वार के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की फीस एवं छात्रवृत्ति न मिलने से व्याप्त असन्तोष के संबंध में” श्री चन्द्रशेखर की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 08 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र  
सचिव,  
विधान सभा।

स्वीकृत,  
गोविन्द सिंह कुंजवाल  
अध्यक्ष,  
विधान सभा।